



2026:AHC: 58682

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 7915/2024

निर्मला राय

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अरविंद कुमार पांडेय, चंद्र प्रकाश पांडेय, मोहम्मद जफर याब खान, संगम कुमार, सौरभ मिश्रा, शाहरोज खान, विवेकानंद राय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, मो. नूरुद्दीन खान, सैयद शाहनवाज शाह

न्यायालय संख्या- 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), बलिया द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1425 वर्ष 2024 (निर्मला राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 23.7.2025 को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा थाना-पकड़ी, जिला- बलिया के मुकदमा अपराध संख्या 370 वर्ष 2017, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अभियोजन के मामले के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 ने वर्तमान अपीलार्थी सहित सात व्यक्तियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसके अनुसरण में 29.05.2017 की घटना के संबंध में दिनांक 25.08.2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार, सूचनादाता को यह सूचना मिली कि उसके पुत्र अजीत कुमार को निर्मला राय के घर पर आग्नेयास्त्र से चोटें आई हैं। तत्पश्चात जब सूचनादाता और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्हें कथित तौर पर अजीत कुमार और खुशबू राय के शव मिले, जिन पर आग्नेयास्त्र और धारदार हथियार से आई चोटें थीं।

5. यह भी आरोप है कि इससे पूर्व मृतक अजीत कुमार अभियुक्त के परिवार से परिचित था और उनके घर आता-जाता था लेकिन बाद में संबंध तनावपूर्ण हो गए। घटना से लगभग एक माह पूर्व, अभियुक्तों ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सूचनादाता को गाली दी और उन्हें धमकी दी। यह आगे आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने षड्यंत्र रचा और मृतक को बुलाया तथा उसके बाद खुशबू राय के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया।

6. अन्वेषण के दौरान, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, पंचायतनामा तैयार किए गए और पोस्टमार्टम परीक्षण किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, खुशबू राय को कई कटे हुए घाव आए थे और मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था, जबकि मृतक अजीत कुमार को आग्नेयास्त्र की चोट और कटे हुए घाव आए थे तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र की चोट के कारण रक्तस्राव और सदमा था।

7. हालांकि, अन्वेषण के पश्चात, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्तों के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 21.03.2018 प्रस्तुत की। तत्पश्चात, सूचनादाता द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गई जिसे स्वीकार कर लिया गया और आदेश दिनांक 26.07.2023 द्वारा अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया तथा अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य अभियुक्तों को विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा उसने आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित कोई अपराध नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना 29.05.2017 को हुई थी जबकि विपक्षी संख्या 2 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र 07.07.2017 को अर्थात् लगभग 38 दिनों के विलंब के बाद प्रस्तुत किया गया था और उसके अनुसरण में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट 25.08.2017 को दर्ज की गई। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 के पुत्र ने स्वयं चाकू से कई बार करके खुशबू राय की हत्या की और उसके बाद उसने स्वयं पर गोली चलाई तथा स्वयं को चाकू से चोटें भी पहुंचाई। यह प्रस्तुत किया गया है कि डॉक्टर की राय के अनुसार, मृतक अजीत कुमार की मृत्यु मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुई थी।

9. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी की माता ने भी 29.05.2017 को मृतक और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हालांकि, पुलिस ने उक्त मामले की उचित विवेचना किए बिना 16.02.2018 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में भी विवेचना अधिकारी ने गहन अन्वेषण के पश्चात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उसे बाद में दाखिल की गई विरोध याचिका के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है।

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी केवल मृतका खुशबू राय की विवाहित बहन है और कथित घटना में उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी एक विधवा महिला है, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

11. यह आगे तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त उमेश कुमार गोंड को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 12621 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान अपीलार्थी का मामला भी समान आधार पर है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी एक महिला अभियुक्त होने के नाते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के परंतुक के लाभ की हकदार है। अंत में यह प्रस्तुत किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया है कि अपीलार्थी ने निचली अदालत के समक्ष पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है और वह 5.7.2024 से जेल में निरुद्ध है तथा जमानत खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश अवैधता और त्रुटि से ग्रस्त है और अपास्त किए जाने योग्य है।

13. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं; कि आरोप षड्यंत्र और सक्रिय भागीदारी को प्रकट करते हैं; कि घटना में दो व्यक्तियों की जान चली गई; कि अपराध गंभीर प्रकृति का है; कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात विरोध याचिका स्वीकार की गई थी; कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है।

14. मैंने प्रतिद्वंद्वी अभिवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

15. आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य कि अन्वेषण के पश्चात पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अपीलार्थी को विरोध याचिका के आधार पर तलब किया गया है, अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, अपीलार्थी नाबालिग बच्चों वाली एक महिला है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 20.12.2024 से जेल में है, सह-अभियुक्त को दी गई जमानत की समानता पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

16. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है और अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश एतद्वारा **अपास्त** किया जाता है।

17. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल अपीलार्थी- **निर्मला राय** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) अपीलार्थी अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न होने तक अपीलार्थी नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

(iv) अपीलार्थी उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगी जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

18. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

20 मार्च, 2026

कृष्णा*